

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2016

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4621/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2015-16, दिनांक 09 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-महराजगंज की न0पा0प0 नौतनवां की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 18 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-866/2015/2302/69-1-2015-75(अ0सं0-37)/2015, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 द्वारा ₹0 597.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 298.655 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹0 298.655 लाख (रूपये दो करोड़ अठानबे लाख पैंसठ हजार पांच सौ मात्र)की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-219/2016/571(1)/69-1-2016 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महाराजगंज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-219/2016/571/69-1-2016-75(अ0सं0-37)/15 दिनांक 22 मार्च, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	महराजगंज	न०पा०परि० नौतनवां	वार्ड नं०-11 के मो० आजादनगर में छेदी व प्रदीप के घर होते हुये मटरसा तक नाली निर्माण कार्य।	10.63	5.315
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-11 के मो० आजादनगर में इस्तहाक के घर से हाफिस व गनेश के घर होते हुये यादव के चाय की दुकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	64.83	32.415
3.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-14 के मो० लोहियानगर में श्री सुभान के मकान से करमुल्लाह के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.61	5.305
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-15 के मो० चिउरहा में बक्सीस के घर से अदालम के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.88	3.94
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-23 के मो० मउपाकड में एनुअलहक के घर से मो० हासिब व अब्दुल रहीम के घर होते हुये रमजान के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	75.04	37.52
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-16 के मो० बहादुरशाह नगर में धर्मदेव तिवारी के घर से दया सिंह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	66.58	33.29
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-09 के मो० उस्मान नगर में रूठीबारी चौराहे से पुलिया तक रिटेनिंगवाल, मिट्टी भराई एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	29.34	14.67
8.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-02 के मो० विस्मिलनगर में शमीउल्लाह के घर से मेन रोड बाइपास तक नाली चौड़ीकरण व इण्टरलाकिंग कार्य।	80.35	40.175
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-17 के मो० राहुलनगर में हरी नारायण के घर से मनसब अली के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.82	5.41
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-17 के मो० राहुलनगर में मिश्रीलाल के घर के पीछे बड़ा नाला होते हुये कल्लूखान के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	41.01	20.505
11.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-17 के मो० राहुलनगर में मनसब अली के घर से महाराणा प्रताप स्कूल होते हुये मेन रोड तक नाला एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	45.29	22.645
12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-08 के मो० मधुबन नगर में शमीउल्लाह	23.36	11.68

			के घर से मनसब अली के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।		
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजादनगर में शिव कुमार गौड़ के घर से त्रिभुवन चौधरी के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.13	5.065
14.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजादनगर में स्व0 रामलाल के मकान से आलम अली के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	52.56	26.28
15.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजादनगर में स्व0 पशुपति जायसवाल के घर से अबरार अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.29	4.645
16.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजादनगर में रामचन्द्र वर्मा के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	37.45	18.725
17.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजादनगर में जगदीश गौड़ के घर से मेहदी हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.61	6.305
18.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजादनगर में विनोद चौहान के घर से संतोष के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.53	4.765
योग				587.31	298.655

(रूपये दो करोड अट्ठानबे लाख पैंसठ हजार पांच सौ मात्र)

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<http://shasnadesh.up.nic.in>